

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. एफ-ए-6-37-2008-एक-(1) 1761.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन्स (लिमिटेड ऑफ फंक्शन्स) रेग्यूलेशन्स, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त रेग्यूलेशन्स में, परिशिष्ट में, अनुक्रमांक 35 तथा उससे संबंधित प्राविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्राविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“36. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन सहायक संचालक, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी का एक पद.”.

परिशिष्ट को 24 अक्टूबर 2010 को तथा से इस प्रकार पढ़ा जाएगा तथा उसके संबंध में ये अर्थ लगाया जाएगा, मानो कि उपरोक्त संशोधन उसमें किसी भी समय नहीं किया गया था.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. एफ-ए-6-37-2008-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6-37-2008-एक (1), दिनांक 24 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th September 2010

No. F-A-6-37-2008-One (1)-1761.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957, namely:—

AMENDMENT

In the said regulations, in the Appendix, after serial number 35 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely:—

“36. One post of Assistant Director, Planning, Economics & Statistics under the Planning, Economics & Statistics Department.”.

The Appendix shall on and from the 24th October 2010 be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein at any time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.